:: आदेश ::

भीलवाड़ा के नवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण का अनुभव निकालते हैं एवं संक्रमण के नागरिकों के साथ स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के माध्यम से सक्षम नष्ट करने वाले दृष्टि से कार्यक्षेत्र के धृत स्थान से बृहद स्थान पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं, साथ ही समय दर्शन प्रक्रिया संभवतः 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सवा निषेधाज्ञा एवं जिले की सम्पूर्ण राजस्थान सीमा क्षेत्र (शहरी एवं प्रायीग) में निषेधाज्ञा स्थापित की जा चुकी हैं।

नवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाइजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जिला मजिस्ट्रेट बूंदी से प्राप्त पत्र में M/S Hare Krishna Alum & Chemicals, 6-A-3 Bapu Nagar, Bhilwara को निम्न शर्तों पर Alum & Chemicals भीलवाड़ा से बूंदी ले जाने हेतु ड्राइवर्स पॉर्टल की अनुमति प्रदान की जाती है :–

01. प्रत्येक व्यक्तियों यथा कार्यक्षेत्र/वाहन चालक, वाहन, सामग्री/बॉक्स को समय-समय पर सेटेलाइज़ किया जावे।
02. Social Distance की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
03. ध्यान का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
04. उक्त व्यवस्था में कार्यक्षेत्र व्यक्तियों की संख्या कम से कम 25% जाना सुनिश्चित करें।
05. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियों को खाना/जुड़ना/बुधवार व अन्य किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्वीकृत करवाई जाएं केंद्रीय मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो किया जावे।
06. भारत सरकार एवं राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों की अक्सर पालना सुनिश्चित की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि—भिलवाड़ा के सुनामार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

01. मुख्य सचिव, गढ़वाल, राजस्थान, जगुपर
02. अधिक रुपया सचिव, एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जगुपर
03. मुख्य सचिव, गढ़वाल, राजस्थान, जगुपर
04. सर्वेक्षण आयुक्त, जगुपर
05. गृह निगम, गृह निगम, गृह निगम, राजस्थान-जगुपर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु मेजबान जावे।
08. अधिक जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिवहन, भीलवाड़ा
10. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर बिकास भीलवाड़ा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाइजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छुट के काम में समृद्धि मिलाने रखने हेतु प्रेषित है।
12. समस्त उप रुपिया चेक, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त उप पुलिस अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त जिला सरकारी अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
15. समस्त तहसीलदार एवं कार्यालय मुखिया/जिला भीलवाड़ा
16. समस्त विकास अधिकारीं कंठाक मंत्री, जिला भीलवाड़ा
17. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन समर्पण कार्यालय, भीलवाड़ा।
18. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
19. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
20. M/S Hare Krishana Alum & Chemicals, 6-A-3 Bapu Nagar, Bhilwara
21. नोटिस बोर्ड, जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखंड/समस्त तहसील

जिला मुखिया, भीलवाड़ा